न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–558/2026

अलौली थाना काण्ड सं0–204/26

नरेश केवट एवं अन्य – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0–प्रथम्,
खगड़िया।

06.06.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्तगण–**1. नरेश केवल, 2. मंगल केवट एवं 3. विपीन केवट** की ओर से अलौली थाना काण्ड सं0–204/26, जी0आर0 सं0–1375/26, धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री विवेक कुमार की ओर से संचालित किया गया। आवेदकगण दिनांक 20.05.2026 से कारा अभिरक्षा में हैं। सूचिका की ओर से हाजिरी है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से दाखिल अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध एक मामला दर्ज है, जो सूचिका के पति के द्वारा दर्ज कराया गया है। आवेदकगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। असल तथ्य यह है कि सूचिका का बेटा करण केवट, सह–अभियुक्ता आंचल कुमारी उर्फ आंचल देवी से विवाहित है और वह आवेदकगण की भतीजी है। सूचिका और उसके परिवार के सदस्यों ने आँचल कुमारी और उसके माता–पिता से पैसे की मांग की, जब उसने दहेज देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और घर से निकाल दिया। आंचल कुमारी ने सूचिका और उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध अलौली थाना काण्ड सं0–39/25 के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसमें सूचिका और उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है और सूचिका के बेटे करण केवट के खिलाफ भरण–पोषण वाद सं0–40एम/26 के तहत दायर किया है, इसी कारण से सूचिका ने आवेदकगण और अन्य के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज कराए हैं। यह मामला पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। सह–अभियुक्ता आंचल कुमारी, रंजीत केवट, मुन्नी देवी और आशिक कुमार अदालत में पेशी के बाद घर लौट रहे थे, तभी सूचिका और उसके परिवार ने उन पर बुरी तरह हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। आवेदकगण मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आलोक

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–558/2026

अलौली थाना काण्ड सं0–204/26

लगातार

06.06.2026

में आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया, साथ–ही–साथ सूचिका के निजी विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र मोहन चौधरी के द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

सूचिका के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन के केस का सारांश यह है कि दिनांक 18.05.2026 को समय लगभग 5:30 बजे सूचिका खगड़िया कोर्ट से अपने घर वापस जा रही थी। जब वह बनहेरे बाँध से लगभग 500 मीटर आगे पहुँची, तभी रास्ते में नरेश केवट, रंजीत केवट, मंगल केवट, विपिन केवट, संतोष केवट, आशिक कुमार, सुरेश केवट, आँचल कुमारी, मुन्नी देवी तथा इनके साथ 5–7 अन्य अज्ञात व्यक्ति देसी पिस्तौल, लाठी, डंडा, फरसा इत्यादि हथियारों से लैस होकर आए और सूचिका और उसके पति शशि केवट तथा उसके बेटे समीर कुमार, कृष्ण कुमार, करण कुमार का रास्ता रोक कर घेर लिया। रंजीत केवट ने धमकी देते हुए कहा कि बहुत केस करती हो, आज सबको जान से मारकर नदी में फेंक देंगे। इतना सुनते ही नामित सभी लोग सूचिका, उसके पति एवं बेटे के साथ लाठी–डंडा एवं लोहे की रॉड से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान रंजीत केवट ने उसके बेटे करण कुमार को जान से मारने की नियत से फरसा से सर पर वार किया, जिससे उसका सर फट गया और बहुत खून बहने लगा। नरेश केवट ने बेटे कृष्ण कुमार को लोहे की रॉड से बहुत मारा, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मंगल केवट ने सूचिका के सर पर हथियार सटाते हुए कहा कि अलौली थाना में जो केस किया है, उसे उठा लो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। सूचिका के चीख–पुकार सुनकर जब आसपास के ग्रामीण इकट्ठा होने लगे, तो नामित सभी वहां से आग गये। घटना का कारण यह है कि दिनांक 17.05.2026 को सूचिका अलौली थाना में नामित सभी के विरुद्ध अलौली थाना कांड संख्या 197/26 दर्ज करायी था। इसी को लेकर आज खगड़िया कोर्ट नामित सभी में उसके ऊपर केस उठाने का दबाव बना रहे थे। लेकिन सूचिका केस उठाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्होंने उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदकगण सहित अन्य

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–558/2026

अलौली थाना काण्ड सं0–204/26

लगातार

06.06.2026

सह–अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदकगण इस काण्ड के नामित अभियुक्त हैं। सूचिका, सह–अभियुक्ता आँचल कुमारी की सास है तथा आवेदकगण आँचल कुमारी के चाचा हैं। उभय पक्ष के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर वाद एवं प्रतिवाद दर्ज है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग जख्मी हुए है। प्रतिवाद के समर्थन में आवेदकगण के द्वारा प्राथमिकी की सत्यापित प्रति की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जान मारने का आशय प्रतीत नहीं होता है। आवेदकगण दिनांक 20.05.2026 से कारा अभिरक्षा में हैं, ऐसी दशा में उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्ष के तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों, ऊपर में वर्णित परिस्थितियों एवं कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	06.06.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	08.06.26
Uploading by	Nikhil Kumar. (D.E.O.)